R.N.R.

□□□ □□□ □□□□ □□ □.□□. □□□□□, □□ □□.

कांस्टेबल शेलिंदर कुमार, — □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□ □□□□□ **&** ***अन्य,*** — □□□□□□□□□□

LPA □□. 37 □□ 2007 □□□

C.W.P. □□□□. 5576 □□ 1992

4 □□□□□. 2009

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद226 — पंजाब पुलिस नियम, 1934 — आरआई. 12.8 — ड्यूटी से अनुपस्थिति -नियम 12.21 को लागू करके एक सिपाही की सेवा से निर्वहन-आदतन अनुपस्थिति- निर्वहन का आदेश कलंकित-न तो कोई विभागीय जांच की गई और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया-अपील की अनुमति दी गई, एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया गया जबकि अधिकारियों को पूर्ण वेतन और परिणामी लाभों के साथ अपीलार्थी को बहाल करने का निर्देश दिया गया।

(□) (□ □□ 11) □□ S.C.0 □□ □

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि पहला आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी जुलाई, 1990 में ड्यूटी से अनुपस्थित था, लेकिन संबंधित पुलिस अधीक्षक को थाने से कोई सूचना नहीं दी गई थी और अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए बाद में आधार बनाया गया है। इसके अलावा, हम पंजाब पुलिस नियमों में यह भी देखते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रोबेशन की कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है और अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में जो नियम रखा जा रहा है, वह पंजाब पुलिस नियमों का नियम 12.8 है, जो केवल इंस्पेक्टरों, सब-इंस्पेक्टरों और सहायक सब-इंस्पेक्टरों से संबंधित है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि इन अधिकारियों के कर्तव्य अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा जांच करनी होती है, जबकि पुलिस कांस्टेबल के रूप में उनका आपराधिक मामले की जांच से कोई लेना-देना नहीं है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इन कारणों से कि पुलिस अधीक्षक जींद द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1991 को पारित आक्षेपित आदेश कलंकित प्रकृति का है और कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता था, हमने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को खारिज कर दिया और आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया।

(□□□□ 7 □□ 8)

सुरिंदर कुमार, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

तेज पाल, HC No. 597 / Jind, □□□□□□□□□.

उमा नाथ सिंह, □□.

(1) इस रिट याचिका और अन्य ग्यारह संबंधित मामलों को इस अदालत के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1992 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5576 में खारिज कर दिया था, जिसने 4 मार्च, 2005 के फैसले को जन्म दिया।।

(2) ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी 11 जुलाई, 1989 को हरियाणा पुलिस में सिपाही के रूप में नामांकित था। उन्होंने अप्रैल, 1990 में मधुबन में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया और हरियाणा सशस्त्र पुलिस, करनाल के साथ लगभग 2 महीने तक सेवा की| उन्हें जिला जींद में आवंटित किया गया और कांस्टेबुलरी नंबर 2/770 दिया गया| जुलाई, 1990 में, अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन, नरवाना में तैनात रहते हुए पुलिस लाइन जाने का निर्देश दिया गया था।

जुलाई, 1990 में, अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन, नरवाना में तैनात रहते हुए किसी कोर्स के लिए पुलिस लाइन्स, जींद जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह उच्च तापमान और मतली की भावना के साथ 25 जुलाई, 1990 को बीमार हो गया। डॉ. एम. एल. तेनेजा ने सोनीपत में उनकी जाँच की। अगस्त, 1990 तक वे पूजा अस्पताल में एक इनडोर मरीज के रूप में भर्ती रहे, जब उन्हें ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अपीलार्थी ने 10 अगस्त, 1990 को पुलिस स्टेशन, नरवाना में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू की और उसके बाद, उसने ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया। 24 अगस्त, 1990 को अपीलार्थी को 7 दिनों की छुट्टी दी गई और फिर वह अपने गाँव चला गया। उन्हें 1 सितंबर, 1990 को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करनी थी, लेकिन अपने पिता की बीमारी के कारण, उन्होंने एक तार के माध्यम से 2 और दिनों के लिए छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी ने 3 सितंबर, 1990 को P.S. में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए अपना गाँव छोड़ दिया। नरवाना, लेकिन राज्य में कुछ आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण, वह जींद या नरवाना तक पहुंचने के लिए वाहन नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए, उसने P.S. पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 3 सितंबर, 1990 को सोनीपत। चूंकि हरियाणा में मंडल-विरोधी आरक्षण के कारण बहुत हिंसा और हड़तालें हुईं, इसलिए अपीलार्थी 7 सितंबर, 1990 को ही अपना काम फिर से शुरू कर सका। 26 अगस्त, 1991 को अपीलार्थी को पंजाब पुलिस नियम के नियम 12.21 के अधीन पुलिस अधीक्षक, जींद द्वारा पारित आरोपमुक्त करने के आदेश के बारे में इस आधार पर सूचित किया गया था कि उसके एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित होने की संभावना नहीं है।।

(3) अपीलार्थी के अनुसार, भले ही उसने लगभग ढाई वर्ष तक सेवा की थी और निर्वहन के आदेश से एक वर्ष पहले उसे छुट्टी देकर उसकी गैर-उपस्थिति को माफ कर दिया गया था, उसे

आदतन अनुपस्थिति के आधार पर उक्त आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से कलंकित लगता है।

(4) समान परिस्थितियों वाले एक मामले में, माननीय सर्वोच्च कोर्ट ने अपने फैसले **मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य** के पैरा नंबर 7 में माना है: -

> "....(7). अब यह इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि इसे निर्वहन के आदेश के रूप में माने जाने के लिए, इसे सरल बनाने के लिए, इसके सामने संबंधित व्यक्ति पर कोई आक्षेप या कलंक नहीं डालना चाहिए और उसे केवल जमीन पर या असंतोषजनक काम के द्वार बंद कर देना चाहिए। नियम 12.21 स्वयं हरियाणा राज्य के मामले में इस न्यायालय के विचारार्थ था और दूसरा बनाम जगदीश चन्दर। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदतन अनुपस्थिति और अनुशासनहीनता के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से अपराधी के करियर पर कलंक लगाते हैं और भविष्य में कहीं और रोजगार के लिए एक बाधा होगी। नतीजतन, पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.21 के तहत इस तरह के आदेश को कायम नहीं रखा जा सका।.."

यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में इस निर्णय का एक संदर्भ है, लेकिन हम बिना किसी वैध कारण के निर्णय में अंतर करने में एक त्रुटि देख सकते हैं।

(5) इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, (सिविल अपील सं. 1989 का 93,94) इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:

> नियम 12.21 के अधीन शक्ति के प्रयोग के लिए अपेक्षित राय का गठन निश्चित सामग्री पर आधारित होना चाहिए अन्यथा यह पूरी तरह से

मनमाना और मनमाना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा नियम 12.21 को लागू करने का एकमात्र उदाहरण 3 अगस्त, 1985 की घटना प्रतीत होती है। इसके लिए, कदाचार, दक्षता और कदाचार के लिए विभागीय जांच आयोजित करना दो अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए हमारी यह राय है कि भिवानी के पुलिस अधीक्षक को पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.21 को लागू करने में न्यायोचित नहीं ठहराया गया।."

(6) इसके अलावा, हमने एच. सी. तेज पाल द्वारा लाई गई अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका भी देखी है, जो पुनरुत्पादन पर इस प्रकार है :

"1. कांस्टेबल सरेंडर कुमार नं. 787/जींद, 11 जुलाई, 1989 को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया गया था।

2. P.S. सदर पर पोस्ट किया गया, नरवाना, उन्हें S.P. को अंधेरा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। कार्यालय, जींद-डी. डी. आर. नं. 31, दिनांक 19 जुलाई, 1990 को 6.15 A.M. लेकिन वह 20 जुलाई, 1990 की शाम तक पुलिस स्टेशन नहीं लौटा और उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। 21, तारीख 20 जुलाई, 1990 को 5.35 आरएम पर। आर. एस. सदर, नरवाना। वह वापस आया,-डी. डी. आर. नं. 21, दिनांक 21 जुलाई, 1990 को 2.00 आरएम पर। आर. एस. सदर, नरवाना, 20 घंटे 25 मिनट तक अनुपस्थित रहने के बाद। S.H.O., RS की रिपोर्ट। सदर। नरवाना को नीचे रखा गया है।

3. उन्हें S.L.R में प्रशिक्षण लेने के लिए पुलिस लाइन्स, जींद में प्रतिनियुक्त किया गया था। 12. दिनांक 25 जुलाई, 1990 को 11.40 A.M. of P.S. सरदार, नरवाना, लेकिन उन्होंने पुलिस लाइन्स, जींद में रिपोर्ट नहीं की और उन्होंने P.S. पर अपना आगमन दर्ज कराया। सदर, नरवाना-डी. डी. आर. नं. 21, दिनांक 10 अगस्त, 1990 को 5.00 आरएम पर। इस प्रकार, वह 17 दिन, 5 घंटे और 20 मिनट के लिए अनुपस्थित रहे।

4. वह 7 दिन C.L पर आगे बढ़े। P.S. से सदर, नरवाना,-v/'JeDDRNo. 14, दिनांक 24 अगस्त, 1990 को 3.10 आरएम पर। P.S. से। सदर, नरवाना। झूठ 1 सितंबर, 1990 की दोपहर को वापस रिपोर्ट करने वाला था। लेकिन वह समय पर वापस नहीं आए और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई,-डीडीआर नं। 12, दिनांक 1 सितंबर, 1990 को 12.20 P.M. of P.S. सदर, नरवाना। वह P.S. पर वापस आ गया। सदर, नरवाना-डी. डी. आर. नं. 16, दिनांक 11 सितंबर, 1990 को P.S. के 6.10 P.M. पर। सदर, नरवाना 10 दिन और 6 घंटे तक अनुपस्थित रहने के बाद। S.H.O. की रिपोर्ट, P.S. सदर, नरवाना नीचे स्थित है।

5. ववह बिना अनुमति या अनुमति के कर्तव्य से अभ्यस्त और जानबूझकर अनुपस्थित रहता है।

कृपया आदेश के लिए प्रस्तुत करें।

(एसडी.) . निहार सिंह HC

3 □□□-□□□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□, □□□□□, □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ 12.21 26 □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□, 1991.

(□□□□) .
. □□.□□./26-8-1991."

(7) दिलचस्प बात यह है कि हालांकि पहला आधार यह लिया गया है कि अपीलार्थी जुलाई, 1990 में ड्यूटी से अनुपस्थित था, लेकिन पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस अधीक्षक को कोई सूचना नहीं है और इसे बाद में अपीलार्थी को सेवा से मुक्त करने के लिए आधार बनाया गया है। इसके अलावा, हम पंजाब पुलिस नियमों में यह भी देखते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रोबेशन की कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है और अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में जो नियम रखा जा रहा है, वह पंजाब पुलिस नियमों का नियम 12.8 है, जो केवल इंस्पेक्टरों, सब-इंस्पेक्टरों और सहायक सब-इंस्पेक्टरों से संबंधित है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि इन अधिकारियों के कर्तव्य अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा जांच करनी होती है, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल का आपराधिक मामले की जांच से कोई लेना-देना नहीं होता है|

(8) उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए और इन कारणों से भी कि पुलिस अधीक्षक, जींद, दिनांक 26 अगस्त, 1991 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कलंकित प्रकृति का है और कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता था, हम सीडब्ल्यूपी सं. 1992 का 5576 और पुलिस अधीक्षक, जींद द्वारा पारित आरोपमुक्त करने के आदेश को निरस्त करते हैं। नतीजतन, यह अपील स्वीकार की जाती है और संबंधित अधिकारियों को पूर्ण वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ अपीलार्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा